P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

भारत में सरोगेसी : चुनौतियां

अरविन्द चौहान
सहायक आचार्य,
प्राणि”ाास्त्र विभाग,
राजकीय बांगड़ पी.जी. महाविद्यालय, पाली,
राजस्थान, भारत

सारांश

भारत में लगभग हर ग्यारहवॉ दम्पत्ति जोड़ा संतानहीन है। भारत में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होने के कारण सरोगेसी एक विकल्प के रूप में उभरा है। दुनिया का पहला परखनली ि”ाु ब्रिटेन में जन्मा था और दूसरा भारत में, जिसका नाम कनुप्रिया एलीयास दुर्गा। सरोगेसी पारम्परिक, गर्भावधि, परोपकारार्थ और वाणिज्यिक उद्दे”य की जाती है।

सन् 2002 में सरोगेसी को विधि मान्यता मिलने के कारण भारत सरोगेसी के बडे केन्द्र के रूप में उभरा है। भारत की लगभग 3,000 क्लीनिकों में सरोगेट मॉ की सेवाएॅ उपलब्ध हैं। जिसका मख्य कारण कम खर्च और लचीला कानून है। भारत एक धार्मिक दे”ा होने के कारण यहॉ सरोगेसी मॉ के प्रसव को नैतिक कर्तव्यों में नहीं माना जाता है।

सरोगेट मॉ को अनेक बार सामाजिक भ्रांतियों का ि”ाकार होना पड़ता है। साथ ही सरोगेसी में कमी”ान एजेंटों की भूमिका, जन्म लेने वाले बच्चें की राष्टोयता, सरोगेट बच्चों का उपयोग देह व्यापार या अंगों के कारोबार की सम्भावनाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में सरोगेसी को विनियमित करने के लिये भारत में विधि आयोग ने सरोगेट मॉ और ि”ाु की आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा और इस तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरोगेसी अनुबंध में ि”ाु और सरोगेट मॉ के प्रति दायित्वों के लिए विधि की अनु”ांषा की गई है। लोकसभा ने ए.आर.टी. रेग्युले”ान बिल 19 दिसम्बर, 2018 मे पास कर दिया है, जिसमें व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के साथ–साथ विवाहित दम्पत्ति को ही सरोगेसी से सन्तान प्राप्ति का अधिकार दिया गया है।

सरोगेसी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, विधिक आदि विवादों को जन्म देती है। जिसके कारण यह अभी तक कानून नहीं बन पाया है।

मुख्य शब्द : सरोगेसी, सरोगेट मॉ, परांपकार्थ, ए.आर.टी.।

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय द”ार्न के अनुसार जीवन का जैविक उद्दे”य गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुॅचाना है। निःसंतानता भारतीय समाज मे कलंक माना जाता है। भारत में लगभग हर गयारहवॉ दम्पत्ति निःसंतान है। संतान प्राप्ति की भारतीय परिवारों को तीव्र इच्छा रहती है। चिकित्सा जगत् में संतान प्राप्ति के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक विकल्प के रूप में उभरी है।

द न्यू इंसाइक्लोपिड़िया ब्रिटेनिका के अनुसार सरोगेसी वह प्रक्रिया है जिसमें एक महिला ऐसे दम्पत्ति के बच्चें को गर्भ में पालती है जो सामान्य तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वॉरनोक रिर्पोट (1984) एच एफ एंड इ, के अनुसार सरोगेसी प्रक्रम में एक महिला अपने गर्भ में बच्चे को इस उद्दे”य से पालती है कि जन्म देने के बाद उसे दूसरे को सौंपना है।

अध्ययन के उद्देश्य

सरोगेसी तकनीक की भारत में वर्तमान स्थिति और भारत में प्रचलित कानून पर प्रका”ा ड़ालना तथा कानून में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना जिससे इस तकनीक का लाभ एकल व्यक्ति एवं अप्रवासी भारतीय भी उठा सके।

सरोगेसी एवं प्रकार

जब कोई महिला गभा”ाय में संक्रमण के कारण, बार–बार गर्भपात या आईवीएफ तकनीक फेल होने के कारण गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे दंपत्ति किसी अन्य महिला की कोख को किराये पर लेते है। इस प्रक्रिया का उद्दे”य ऐसे अभिभावक को संतान सुख देना जा उसके बिना संतान प्राप्त नहीं कर सकते।

वि”व का पहली परखनली ि”ाु लुईस ज्वार्य ब्राउन ने 25 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन मे जन्म लिया और दुनिया का दूसरा और भारत का पहला

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

आईविएफ ि”ा”ु, कनुप्रिया एलीयास दुर्गा को माना जाता ह, जिसका जन्म 3 अक्टूबर, 1978 को कलकत्ता में हुआ। सरोगेसी निम्न प्रकार की हो सकती है–

परम्परागत

इस प्रक्रम में सरोगेट माता के अंडे का प्रयोग किया जाता है और पिता के शुक्राणु से निषेचन कराया जाता है। विर्यसेचन प्राकृतिक या कृत्रिम तरिके से किया जाता है। इस प्रक्रम में ि”ा”ु का जेनेटिक संबंध केवल पिता से होता है।[1]

गर्भावधि

इस प्रक्रम में माता–पिता के अड़ाणु और शुक्राणु का निषेचन परखनली में करवाकर भ्रूण को सरोगेट माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।

परोपकारार्थ

इस प्रक्रम में सरोगेट माता निःस्वार्थ भावना से गर्भ में ि”ा”ु का पालन करती है। सामान्यतया निकट सम्बन्धि ही सरोगेट माता होती है।

वाणिज्यिक

इस प्रक्रम में सरोगेट माता शुल्क प्राप्त कर गर्भ में ि”ा”ु का पालन करती है।

जोखिम

1. सरोगेसी में प्रीइम्पलांटे”ान रिस्क, कल्चर माध्यम द्वारा भ्रूण को प्रभावित करना, कभी–कभी एक से अधिक भ्रूण भी स्थानांतरित हो जाते है।
2. सरोगेट माता के अस्वस्थ होने से और प्लेसेंटा के आकस्मिक विच्छेद होने से गर्भपात की संभावना रहती है।
3. सरोगेट माता का बच्चें से भावनात्मक लगाव होने से कभी–कभी विवाद को जन्म देती है
4. सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान इच्छुक दंपत्ति की मृत्यु होने या संबंध विच्छेद होने पर बच्चें के संरक्षक एवं दायित्व के संबंध में विवाद हो सकता है।
5. सरोगेसी तकनीक का उपयोग अंगों के अवैध कारोबार और देह व्यापार में हो सकता है।
6. भारत के पारम्परिक समाज में पुत्र प्राप्ति की लालसा रहती है, ऐसे में ऐसे दंपत्ति इस तकनीक का दुरुपयोग कर सकते है।
7. दिव्यांग और मानसिक रूप से अक्षम बच्चें के जन्म पर दंपत्ति बच्चें को या तो स्वीकार नहीं करते या उपेक्षा का भाव रखते है।

भारत में सरोगेसी

भारत की लगभग 3,000 क्लीनिकों में सरोगेट मॉ की सवाएँ उपलब्ध हैं। गुजरात के आणंद में लगभग 150 क्लीनिकों में यह सेवा उपलब्ध है। सन् 2014 तक भारत में यह कारोबार लगभग 500 मिलियन यू एस डालर का था। भारत में सरोगेसी प्रक्रिया में खर्चा अमेरिका की तुलना में एक तिहाई से भी कम होता है और यहॉ सरोगेट माताएँ भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
सरोगेसी संबंधी विवाद और भारतीय न्यायपालिका है–

बेबी मांजी यामादा बनाम भारत संघ मामला– बेबी मांजी का जन्म सरोगेसी तकनीक से अका”ाा इंफर्टिलिटि क्लीनिक में सन् 2008 में जन्मी। जन्म के बाद उसकी राष्ट्रीयता को लेकर विवाद हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्दे”ान के बाद भारत सरकार ने ट्रेवल सर्टीफिकेट जारी किया और उसके बाद जापान सरकार ने मानवीय आधार पर एक वर्ष का वीजा जारी किया।[2]

ब्लेज बनाम भारत संघ मामला –जर्मन नागरिकत निकोलस ब्लेज दंपत्ति के सरोगेसी से सन् 2008 में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। लेकिन सन् 2010 तक उनकी नागरिकता निर्धारित नहीं हो सकी थी। जर्मनी में नागरीकता संबंधी कानून के अनुसार सरोगेसी को पितृत्व अधिकार के लिए मान्य नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने सरोगेट माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को भारतीय मानने का आदे”ा दिया। जिसके विरूद्ध भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय मे अपील की। अंत में उच्चतम न्यायलय के निर्दे”ा पर भारत सरकार ने एक्जिट परमिट जारी किया।[3]

बेबी मांजी यमादा बनाम भारत सघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय में वाणिज्यिक सरोगेसी को भारत में अनुमति प्रदान की गइ। सन् 2002 में इस विधि को मान्यता मिलने पर भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिला।

भारत में सरोगेसी के संदर्भ में कानूनी प्रयास–

सरोगेसी विषय पर भारत के विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट 2009 में निम्न प्रमुख सिफारि”ों की है–

1. सरोगेसी में सरोगेट मॉ और कमी”ान के माता–पिता के बीच कृत्रिम गर्भाधान के लिए चिकित्सा प्रक्रिया, गर्भावधि के दौरान सभी व्यय की प्रतिपूर्ति और बच्चे को सौंपने की इच्छा आदि सभी शर्तें सम्मिलित होंगी।[4]
2. सरोगेट बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र में केवल कमी”ान के माता–पिता का नाम होना चाहिए।
3. शुक्राणु या अंड़ाणु दाता तथा सरोगेट माता की गोपनीयता को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
4. लिंग चयनात्मक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।[5]
5. सरोगसी प्रक्रम के दौरान होने वाले गर्भपात के मामले को मेडिकल टर्मीने”ान ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट, 1991 द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
6. सरोगेसी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं होनी चाहिए।[6]

सन् 2014 में सरोगेसी में सरोगेट माता और बच्चे के हितों की रक्षा के लिए लोकसभा में एक गैर–सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा ने ए.आर.टी. रेग्युले”ान ड्राफ्ट बिल 2016 को सन् 2018 में पास किया जिसके अनुसार–

1. वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित है। केवल परोपकार की भावना से ऐसे दंपत्ति को अनुमति जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते।
2. दंपत्ति की निकट रि”तेदार जिसकी आयु 25–35 वर्ष के बीच हो, वह ही सरोगेट माता बन सकती है। साथ ही वह स्वयं विवाहित हो और स्वयं के बच्चा हो। सरोगेट माता अपने बच्चों सहित तीन संतानों के जन्म के बाद सरोगेट मॉ नहीं बन सकेगी, और दो

बच्चों के जन्म के बीच कम से कम दो वर्ष का अन्तर रहे।[7]

3. सरोगेसी से बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति में से महिला की आयु 23 से 50 वर्ष और पुरूष की आयु 26 से 55 वर्ष की हो।
4. सरोगेसी प्रक्रिया के नियमन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड होगा।
5. सरोगेसी प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही अप्रवासी भारतीय, विदे"ाी नागरिकता प्राप्त भारतीय और विदे"ायों के लिए प्रतिबंधित।
6. समलिंगी, एकल अभिभावक और लिव–इन रिले"ानि"ाप में रहने वाले इस तकनीक से बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते है।[8]
7. जिन दंपत्तियों के स्वयं के बच्चें है उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।[9]
8. अंड दान प्रतिबंधित किया गया है।

सरोगेसी के संबंध में सुझाव

1. भारतीय न्यायपालिक मनुष्य के प्रजनन के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता देती है (बी. के. पार्थसारथी बनाम आंध्र प्रदे"ा) सरोगेसी के लिए एकल महिला या पुरूष, समलिंगी को भी अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।[10]
2. वि"ोष परिस्थितियों मे अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लागों के लिए वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति होनी चाहिए।
3. सरोगेट माता और दंपत्ति के मध्य संविदा होनी चाहिए, जिसे नोटरी करवाया जाना चाहिए।
4. सरोगेसी प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिए, जिससे इस तकनीक का उपयोग अंगों के कारोबार और देह व्यापार में न हो सके।
5. गर्भपात की स्थिति में सरोगेट माता के स्वास्थ के लिए वि"ोष व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. विकलांग और विमंदित बच्चा पैदा होने पर उसके हितों के संरक्षण एवं अभिभावक का दायित्व सुनि"चत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सरोगेसी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, विधिक कई विवादों को जन्म दे सकती है। भारतीय न्यायपालिका प्रजनन को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करती है। लोकसभा में पास बिल में यद्यपि सरोगेट माता, इच्छुक दंपत्ति और पैदा होने वाले बच्चे के हितो की काफी हद तक रक्षा करने में सहायक हो सकता ह, लेकिन बदलते हुए परीवे"ा एकल व्यक्ति, समलैंगिक जोड़े को भी सरोगेसी से संतान सुख का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथ ही तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए एवं हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए।

अंत टिप्पणो

1. *भाटिया, कालसेंग; मार्टिनडेल, एलिजाबेथ ए.; रुस्टामोय, ओबेकः नेकिनबाउम, एंटोनी एम. (2009), ''सरोगेट प्रेगनेनसीः एन एसेंसीयल गाइड फॉर क्लीनिसीयंस''. द ओस्टिट्राइसिअन एंड गाइनेकोलाजिस्ट*
2. *बेबी मांजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 29 सितम्बर, 2008*
3. *यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओरस. वर्सेस जेन ब्लेज ओरस.*
4. *लॉ कमी"ान ऑफ इंडिया (रिर्पोट न. 228): नीड़ फॉर लेजीसलें"ान टू रेग्यूलेट असिसटेड रिपरोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक्स एस वेल एस राइटस एंड ओबलिगेसंस ऑफ पेरेन्टस टू ए सरोगेसी*
5. *लॉ कमी"ान ऑफ इंडिया (रिर्पोट न. 228): नीड़ फॉर लेजीसलें"ान टू रेग्यूलेट असिसटेड रिपरोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक्स एस वेल एस राइटस एंड ओबलिगेसंस ऑफ पेरेन्टस टू ए सरोगेसी*
6. *लॉ कमी"ान ऑफ इंडिया (रिर्पोट न. 228): नीड़ फॉर लेजीसलें"ान टू रेग्यूलेट असिसटेड रिपरोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक्स एस वेल एस राइटस एंड ओबलिगेसंस ऑफ पेरेन्टस टू ए सरोगेसी*
7. *द सरोगेसी (रेग्यूलें"ान) बिल, 2018 (बिल न. 257 ऑफ 2016)*
8. *द सरोगेसी (रेग्यूलें"ान) बिल, 2018 (बिल न. 257 ऑफ 2016)*
9. *द सरोगेसी (रेग्यूलें"ान) बिल, 2018 (बिल न. 257 ऑफ 2016)*
10. *बी.के. पार्थ सारथी वर्सेस गवनमेंट ऑफ आंध्र प्रदे"ा एंड अदर्स*